

राजस्थान सरकार
राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

क्रमांक : राम/प-2/3/6/रातस/2019/5688

दिनांक : 12/6/19

—: विज्ञप्ति :-

राजस्थान तहसीलदार सेवा नियमावली 1956 के नियम 31 एवं कार्मिक विभाग जयपुर के परिपत्र क्रमांक प-2 (1) कार्मिक क-2/अ.प्र./91 दिनांक 31.03.15 के तहत मण्डल की समसंख्यक विज्ञप्ति क्रमांक 4559 दिनांक 25.4.19 के द्वारा संस्थाई नायब तहसीलदारों की दिनांक 01.04.19 की स्थिति की अंतरिम वरिष्ठता सूची प्रकाशित की जाकर, 15 दिवस की समयावधि में वरिष्ठता/सेवा विवरण के सम्बन्ध में आपत्तियां आंमात्रित की गई थी। आपत्तियों के सम्बन्ध में नियमानुसार परीक्षण किया जाकर निस्तारण कर दिया गया है।

अतः संस्थाई नायब तहसीलदारों की दिनांक 01.04.19 की स्थिति की अंतिम (Final) वरिष्ठता सूची (संलग्नानुसार) का प्रकाशन मण्डल की वेबसाईट **bor.rajasthan.gov.in** पर एतद्वारा किया जाता है।

संलग्न : उपरोक्तानुसार
(पृष्ठ 1 से 3)

आदेशानुसार,



(विनीता श्रीवास्तव)

निबन्धक,

राजस्व मण्डल राज.

,अजमेर

दिनांक: 12/6/19

क्रमांक : सम/5689-861

प्रतिलिपि : सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

- 1- सयुक्त शासन सचिव, राजस्व (गुप-1) विभाग, राजस्थान जयपुर।
- 2- आयुक्त, भू-प्रबंध विभाग राजस्थान, जयपुर।
- 3- आयुक्त, उपनिवेशन विभाग, बीकानेर।
- 4- समस्त संभागीय आयुक्त।
- 5- जिला कलक्टर समस्त।
- 6-
- 7- प्रभारी अधिकारी, कंप्यूटर्स सैल को मण्डल की वेबसाईट पर प्रकाशन हेतु।
- 8- संबंधित कार्मिक।
- 9- निजी पत्रावली/आदेश पंजिका।



(सीमा शर्मा)

अति. निबन्धक (रातस)

राजस्व मण्डल राज.

,अजमेर

